समक्ष माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली।

आई.ए. संख्या सन् **2023**

इन

इ.ए. संख्या **38** सन् **2022**

इन

ओ.ए. संख्या **165** सन **2021**

गिरजा शंकर राय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

विषयः– नगर पार्क के अवैध निर्माण/अतिक्रमण बचाने हेतु प्रशासन की मिलीभगत से राहुल राजपूत द्वारा याचिकाकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर एवं जानसे मारने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी करने से रोकने के लिए झूठे आरोप लगाकर दबाव बनाएं जाने के बाबत।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में झांसी महानगर के पर्यावरण को स्वच्छ/संतुलन बनाये रखने हेतु लक्ष्मीताल के निकट प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि पर झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण मिलीभगत से कई व्यक्तियों और भू–माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, अतिक्रमण एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करते हुए पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा था जिसको लेकर श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी. एल भास्कर व श्री प्रदीप कुमार नामदेव और मिन याचिकाकर्ता द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में याचिका दायर की गई है। जिसमें माननीय न्यायाधिकरण द्वारा **नगर पार्क के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों के साथ–साथ लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों का संज्ञान लेते हुए नगर पार्क और लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों** को हटाने के आदेश उक्त याचिका में पारित किए गए है। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा उक्त याचिका में पारित आदेशों के बावजूद झांसी प्रशासन, नगर निगम झांसी और झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से **अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों** को हटाने की कार्यवाही करने के बजाएं, झांसी प्रशासन द्वारा इन अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों को बचाने की साजिश करते हुए **नगर पार्क और लक्ष्मी तालाब के अनाधिकृत निर्माणों/अतिक्रमणों** के सम्पूर्ण तथ्य, सच्चाई छुपाकर, मात्र खानापूर्ति के नाम मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठे तथ्य अंकित करते हुए माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष बार–बार झूठी, मनगढ़ंत, भ्रामक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही जिसके क्रम में याचिकाकर्ता द्वारा पैरवी तथा आपत्ति दर्ज करते हुए सही तथ्य माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रेषित किए जा रहे है।

जिसके कारण नगर पार्क की भूमि पर अवैध निर्माण/अतिक्रमण करने–कराने वाले व्यक्ति व राजनीतिक पार्टियों के नेता और अधिकारी हम याचिकाकर्ताओं से रंजिश रखने लगे और उक्त याचिका में पैरवी करने से रोकने के लिए उक्त सभी के द्वारा साजिश के तहत हम सभी पर जानलेवा हमला व झूठे मुकदमे दर्ज कराकर और झूठी शिकायत कराकर कार्यवाही कर दबाव बनाने लगे सिसके कारण याचिकाकर्ता श्री गिरजा शंकर राय व श्री बी. एल भास्कर और श्री प्रदीप कुमार नामदेव द्वारा उक्त याचिका में पैरवी करने से मना कर दिया गया और मुझे भी पैरवी करने से रोकने के लिए दबाव बनाया गया तो मैंने कहा कि ये मेरा संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य इसलिए मैं अकेला ही उक्त प्रकरण में पर्यावरण को बचाने के लिए पैरवी करुगां। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–01–2022 के बाद से ही केवल मिन याचिकाकर्ता ही अकेला पैरवी कर रहा है।

सोशल मीडिया द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि प्रशासन की मिलीभगत से राहुल राजपूत द्वारा दिनांक 12–01–2023 को **याचिकाकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर एवं जानसे मारने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता को उक्त प्रकरण में पैरवी करने से रोकने के लिए याचिकाकर्ताओं से झूठे आरोप लगवाकर एवं झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देकर मिन याचिकाकर्ता दबाव बनाया जा रहा** है तथा माननीय न्यायाधिकरण **के** ई–मेल आईडी पर झूठी शिकायतें करवाई जा रही है।

मिन याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायाधिकरण **में शिकायत व पैरवी करने और सूचनाएं मांगने के कारण दिनांक 13 मार्च 2022 को सुबह लगभग 11:55 बजे जब प्रार्थी घर पर नहीं था तभी अवैध निर्माण कराने और संरक्षण देने वाले तत्कालीन जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित, सचिव, त्रिभुवन**

नरेन्द्र कुशवाहा

विश्वकर्मा, एटीपी रंजिशन जेडीए के (अज्ञात) अधिकारियों–कर्मचारियों और अवैध निर्माणकर्ता ओं को साथ लेकर प्रार्थी के घर पर आये और प्रार्थी का नाम लेकर धमकी देते हुए जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित ने डंडा लेकर प्रार्थी के घर पर लगा एक सीसीटीवी कैमरा स्वयं तोड़ दिया और अन्य कर्मचारियों से सीसीटीवी कैमरा तुड़वाये तथा महिलाओं के साथ अभद्रता करते हुए बदनियती से पकड़ा, छेड़छाड़ की और एनजीटी में प्रार्थी द्वारा आगे शिकायत व पैरवी करने पर बुरे परिणाम भुगते व जान से मार देने की धमकी दी, जिसकी प्रार्थी द्वारा शिकायत करने पर जेडीए उपाध्यक्ष, सर्वेश कुमार दीक्षित द्वारा 13 मार्च 2022 को प्रार्थी के घर किये गए आपराधिक कृत्य से बचने और प्रार्थी पर दबाव बनाने हेतु विनोद वंशकार एवं उसके साथियों से मिलकर जिनसे जेडीए उपाध्यक्ष ने घूस लेकर अवैध निर्माण करने की झूठ दी है से मिलकर झूठी शिकायत कर रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रेरित किया है। और आश्वासन दिया है कि उनके अवैध निर्माण गिराये नहीं जायेगें। वे नरेन्द्र कुशवाहा के पूरे परिवार के खिलाफ एस.सी./एस.टी. एक्ट की रिपोर्ट लिखवा दें। इस तरह षड्यंत्र कर दिनांक 14.03.2022 की झूठी घटना तैयार कराकर दिनांक 16.03.2022 को प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के खिलाफ थाना नवाबाद में अपराध संख्या–114/22 धारा–323, 504, 506, 452, 387 आई.पी.सी. व 3(2) एस.सी./एस.टी. एक्ट का झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

मिन याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायाधिकरण में दायर याचिकाओं में पैरवी करने और सूचनाएं मांगने के कारण मा. विधायक जी के दबाव में झांसी प्रशासन और जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षीत ने षड्यंत्र के तहत दिनांक 25 मई 2022 को लगभग 9 बजे 20–25 अवैध निर्माणकर्ताओं अर्जुन सिंह, हरिदास, सुदीप दीक्षित, राहुल राजपूत, साधना पटेल, विनोद वंशकार, रविन्द्र कुशवाहा, रमेश वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, रामगोपाल सोनी आदि से प्रार्थी के घर पर हमला करवाया। उक्त हमले में प्रार्थी के भाई, महिलाओं और बुजुर्ग पिता के साथ अभद्रता करते हुए जान से मारने की कौशिश की, उक्त लोगों ने जान से मारने की धमकी देते हुऐ घर बार छोड़ जाने की धमकी दी थी और कहा था की अगर कल घर छोड़कर नहीं गए तो जान से मार दिए जाओगे, और तुम्हारे घर की बहु बेटियों का अपहरण कराकर बेच दिया जाएगा। राहुल राजपूत ने धमकी दी की अगर कल सुबह तक तुम सब घर छोड़ कर नही गए तो जान से मार दिए जाओगे, उक्त लोगो ने पहले भी दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लगाया है, और हमारे ऊपर जान लेवा हमलें किए हैं। **उपरोक्तों द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने और महिलाओं का अपहरण कराने के लिए प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के ऊपर कई माध्यमों से जान लेवा हमला व झूठे मुकदमें दर्ज कराकर पुलिसिया उत्पीड़न किया जा रहा है जिसके कारण प्रार्थी अपने बुजुर्ग माता पिता एवं परिवार के साथ अपनी जमीन–जायदाद और घर व घर गृहस्ती का समस्त सामान को छोडकर कई महिनों से डरा–सहमा, भूखा–प्यासा, जान बचाता हुआ इधर उधर छुपता–भागता फिर रहा हैं। उपरोक्तों के द्वारा झूठे मुकदमें दर्ज करने व महिलाओं का अपहरण और प्रार्थी की परिवार सहित हत्या करने के लिए किए जा रहे हमलों की दहशत के कारण दिनांक 26.05.2022 से प्रार्थी का परिवार घर पर नहीं रह पा रहा है।**

अतः माननीय न्यायाधिकरण से निवेदन है कि **प्रशासन की मिलीभगत से राहुल राजपूत द्वारा उपरोक्त याचिकाकर्ताओं एवं परिवार सहित मिन याचिकाकर्ता पर दर्ज कराई गई संलग्न FIR No. 18/2023** दिनांक 12–01–2023 **का अवलोकन कर मिन याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज IA No. 41/2023** में की गई प्रार्थना को स्वीकार करने एवं माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा जानबूझकर आदेशों के क्रम में कार्यवाही करने के बजाये लक्ष्मीताल एवं नगर पार्क की भूमि पर अतिक्रमण/कब्जा एवं प्लॉटिंग कर अवैध कॉलोनियां विकसित करने वाले व्यक्तियों/भू–माफियाओं को बचाने एवं लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मात्र खानापूर्ति के नाम पर मनगढ़ंत, भ्रामक, झूठी आख्या प्रेषित करने वाले अधिकारियों की जांच **माननीय न्यायाधिकरण की कमेटी एवं केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)** से कराकर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने के साथ साथ पर्यावरण एवं न्यायहित में अन्य कोई कार्यवाही माननीय न्यायाधिकरण जो सही तथा उचित समझे करने की कृपा करें।

इस कृपा के लिए आवेदक सदैव आपके आभारी रहेंगा।

दिनांक 14.02.2023

संलग्न– FIR No. 18/2023

प्रार्थी/ **याचिकाकर्ता**

(नरेन्द्र कुशवाहा पुत्र मुन्नालाल कुशवाहा)
निवासी– पिछोर म.ल.बा. मेडिकल कॉलेज के पीछे,
नारायण बाग के पास झांसी, उत्तर प्रदेश, (284128)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** झांसी **P.S. (थाना):** नवाबाद **Year (वर्ष):** 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0018 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	147
2	भा दं सं 1860	387

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 12/01/2023 **Time (समय):** 16:19 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 039 **Date and Time (दिनांक और समय):** 12/01/2023 16:19 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** पूर्व, 06 कि. मी. **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** मु0 पिछोर गुमनावारा,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** श्री राहुल राजपूत

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** श्री विजय सिंह

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1993

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	पिछोर गुमनावारा, नवाबाद, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-7007923299

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	गिरजा शंकर राय			1. भट्टागाँव,सदर बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
2	नरेन्द्र कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
3	मुन्नालाल कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
4	अरबिन्द कुशवाहा			1. पिछोर,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
5	वी0एल0 भास्कर			1. सीपरी बाजार,सीपरी बाजार,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
6	प्रदीप नामदेव			1. मोठ,मोठ,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत
7	अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात			1. अज्ञात,नवाबाद,झांसी,उत्तर प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय झांसी उप्र । विषय:- रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के सम्बन्ध में। महोदय, हम सभी लोग थाना नवाबाद अन्तर्गत पिछोर डियापुरा के निवासी है महोदय गिरजा शंकर राय निवासी भट्टागांव थाना सदर बाजार नरेन्द्र कुशवाहा निवासी-पिछोर थाना नबाबाद, मुन्ना लाल कुशवाहा निवासी पिछोर थाना नबाबाद, अरविन्द्र कुशवाहा निवासी- पिछोर थाना नबाबाद, बी एल भास्कर निवासी- सीपरी बाजार थाना सीपरी बाजार, प्रदीप नामदेव निवासी मोठ एवं अन्य लोगों ने एक गिरोह बनाकर पूरे गुमनावारा पिछोर इंडियापुरा को अवैध निर्माण बताते हुये सन् 2021 में माननीय एन0जी0टी0 कोर्ट में एक वाद दायर किया था जो गिरजा शंकर राय बनाकर उ0प्र0 सरकार है जिसमें हम मुहल्लेवासी वादी भी नहीं है जिसमें उन्होंने वहां से झूठे तथ्य पेश कर एक पक्षीय आदेश हम सभी मुहल्ले वासियों के खिलाफ कार्यवाही कराने का आदेश प्राप्त कर लिया है उसी आदेश को दिखा दिखाकर यह सभी लोग घर-घर जाकर कहते है कि हमें 50-50 हजार रूपये दो नहीं तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगा मैंने तुम लोगों मकान तुडवाने का एनजीटी से आदेश करा लिया है अगर तुम लोग उक्त रकम मुझे दे दोगे तो मैं पैरवी करना बन्द कर दूंगा अन्यथा तुम लोगों के मकान नहीं बचेंगे जिसकी वजह से मुहल्ले में निवासरत 1 श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव की हृदय गति रुकने से मृत्यु भी हो चुकी है एवं मुहल्ले में निवासरत सुदीप दीक्षित, विवेक कुमार रायकवार, वीर सिंह पाल, मिन्टू शिवहरे, रामकुमार झा, विनोद बेशकार उमेश नायक एवं अन्य कई लोगों के घर जाकर 50-50 हजार रुपये की रंगदारी की मांग की है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र अनुरोध है कि उक्त व्यक्ति के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक- 12/01/2023 राहुल राजपूत पुत्र श्री विजय सिंह नि0- पिछोर गुमनावारा झांसी थाना नवावाद झांसी। मो0न0-7007923299 नोट- टाइपशुदा प्रा0 पत्र की नकल मुझ का0मु0 938 अवधेश कुमार के द्वारा अक्षरशः की गई है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ROHIT KUMAR   Rank (पद): उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 182394342   to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):   or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना):   District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SUDHAKAR MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 902730379

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)